

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

पत्रांक

/ खा०ग्र०ब०० / मु०मं०ग्रा०रो०यो० / जि० / परि० / ग्रा०का दि०

ब्याज उपादान पात्रता प्रमाण पत्र

उद्यमी का पूरा नाम.....
 उद्यमी का पूरा पता.....
 उद्योगउददेश्य
 ऋण की मात्रा.....सावधि ऋण.....का०पूँजी
 उद्यमी ऋण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की धनराशि रु०.....
 के विषय में उद्यमी को रु० तक के ऋण पर वर्ष हेतु ब्याज उपादान प्रमाण पत्र
 निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- 1— यद्यपि उद्यमी से प्राप्त ऋण प्रार्थना पत्र पर ऋण की स्वीकृति या निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार बैंक का होगा, तथापि यदि बैंक किसी प्रार्थना पत्र को निरस्त करता है तो बैंक बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का समुचित कारण बताएगा।
 - 2— उद्यमी को बैंक अपनी ब्याज दर पर नियमानुसार ऋण स्वीकृत करेगा, ब्याज उपादान का भुगतान उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा किया जायेगा। शासनादेश सं०-६१४ / ५९—खा—९४—३१(खा) / ९४, दिनांक १६ जून, २००४ के अनुसार ४ प्रतिशत की दर से ब्याज उद्यमी को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष ब्याज अधिकतम १० प्रतिशत तक ब्याज की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ब्याज उपादान के रूप में वहन किया जायेगा, जो निम्न भार्तों पर देय होगा। भोश ब्याज की धनराशि भी उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। उद्यमी को ब्याज उपादान का लाभ उक्त सीमा तक ही दिया जायेगा।
 - 3— आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु०जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (१)— वह बैंक से लेन—देन करता रहेगा और खाता बैंक की सन्तुष्टि के अनुसार नियमित रूप से अपना खाता चलाता रहेगा, किसी भी दशा में जानबूझकर चूक (डिफाल्ट) किये गए खातों पर ब्याज उपादान देय नहीं होगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

जिला.....

पत्रांक

/ उक्त /

तद् दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— शाखा प्रबन्धक.....
- 2— उद्यमी
- 3— उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मु०मं०ग्रा०रो०यो०) खादी बोर्ड, लखनऊ।
- 4— सम्बन्धित परिषेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

जिला.....

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 (मु०मं०ग्रा०रो०यो०)
 मुख्यमंत्री तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
 लखनऊ